संख्या-5/2022/डी-37/38-2-2002(003)/1/2021

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों के तृतीय त्रैमास के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-680/लेखा-पेंशन/डी0आर0डी0ए0/2021-22, दिनांक 22 दिसम्बर 2021 एवं पत्र संख्या-722/लेखा-पेंशन/डी0आर0डी0ए0/2021-22, दिनांक 18 जनवरी 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों के तृतीय त्रैमास के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु अवशेष धनराशि रू0 1688.88 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के.60/रा.40-के.+रा.) योजनान्तर्गत मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0 10600.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 57/2021-डी-436/38-2-2002(003)/1/2021-2(15)डी/2018 , दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों के तृतीय त्रैमास के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 3038.88 लाख को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर अवशेष बजट रू0 1688.88 लाख (रूपये सोलह करोड अट्ठासी लाख अट्ठासी हजार मात्र) को स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(2) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण-वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0 प्र0 को दी जायेगी।

(3) केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समर्पित कर दी जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा ऑकडों की शुद्वता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियम संगत व्यय एवं निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय आदेश संख्या- यू0ओ0-ई-2-3442/दस-2021-22, दिनांक 14 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

रमेश चन्द्र मिश्र

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री लाल धीरेन्द्र राव, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
8- ग्राम्य विकास अनु0-3
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।